

# राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी पर फावड़े से वार करने वाले पति की सजा घटाई

‘अचानक हुए झगड़े में बिना किसी पहले से बने इरादे के किया हमला हत्या की श्रेणी में नहीं आता’

जोधपुर, (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने पत्नी की हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए रिपोर्टेबल आदेश दिया है। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने साफ कहा कि अचानक हुए झगड़े में बिना किसी पहले से बने इरादे के किया गया हमला हत्या की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने दोनों अपीलों पर अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी पिंटू उर्फ प्रवीण सिंह की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग-प्रथम से बदलकर धारा 304 भाग-द्वितीय कर दिया और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2005 को परिव्रादी उम्मेद सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी किरण की 8-9 साल पहले पिंटू उर्फ प्रवीण सिंह से शादी हुई थी और दो नाबालिग बच्चे थे। एक दिन वह ससुराल में

- राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि बच्चों ने अपनी मां को खो दिया है, यदि पिता को लंबी सजा होती है तो वे पिता के प्यार और सुरक्षा से भी वंचित हो जाएंगे
- कोर्ट ने आरोपी पिंटू उर्फ प्रवीण सिंह की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग-प्रथम से बदलकर धारा 304 भाग-द्वितीय कर दिया और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

गंभीर रूप से घायल और बेहोश हालत में मिली। पूछताछ पर एक नाबालिग बच्चे ने बताया कि पिता ने मां के सिर पर फावड़े से वार किया था। शुरू में केस धारा 307 के तहत दर्ज हुआ, लेकिन किरण की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर इसे धारा 302 में बदल दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रतापगढ़ ने इस केस में आठ मार्च 2007 को फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 (हत्या) और धारा 498-ए

कोई पूर्व नियोजन नहीं था, और न ही आरोपी कोई हथियार लेकर आया था। उसने मौके पर पड़े फावड़े से केवल एक ही वार किया और उसके बाद भी उसने अपनी हावी होने की स्थिति का फायदा उठाते हुए कोई दूसरा वार नहीं किया। कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि हत्या के लिए इरादा जरूरी है, जो इस मामले में मौजूद नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर जैसे नाजुक अंग पर फावड़े जैसे भारी हथियार से वार करने पर किसी भी समझदार व्यक्ति को इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि इससे मौत होने की प्रबल संभावना है। इसलिए कोर्ट ने इसे मौत हो सकती है की श्रेणी में रखते हुए धारा 304 भाग-द्वितीय (बिना इरादे के गैर-इरादतन हत्या) का मामला माना।

कोर्ट ने मौत हो सकती है और मौत होने की संभावना के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए इसे धारा 304 पार्ट-द्वितीय के अंतर्गत मानने के इरादे के बिना गैर-इरादतन हत्या का

मामला माना। धारा 498ए के तहत क्रूरता पर कोर्ट ने माना कि यह एक ही दिन की घटना थी और निरंतर उत्पीड़न का कोई ठोस साक्ष्य नहीं था, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा इस धारा में बरी करने का फैसला बिल्कुल सही था। सजा तय करते समय खंडपीठ ने दंड के निवारक, प्रतिशोधत्मक, निरोधक और सुधारक सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। कोर्ट ने जोर दिया कि न्याय सिर्फ पीड़ित के लिए नहीं, बल्कि आरोपी के सुधार और समाज के हित के लिए भी होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि बच्चों ने अपनी मां को खो दिया है, यदि पिता को लंबी सजा होती है तो वे पिता के प्यार और सुरक्षा से भी वंचित हो जाएंगे। इन सभी मानवीय एवं कानूनी पहलुओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

## दूध-मावा फैक्टरी से निकलने वाले बदबूदार पानी से आमजन परेशान



घटवाड़ा में दूध-मावा फैक्टरी से निकलने वाले दुर्गन्धयुक्त पानी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

मानपुरा माचैड़ी, (निस)। दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे की घटवाड़ा पुलिया के पास गुजरी की ढाणी की ओर जा रहे आम रास्ते में पास ही स्थित एक दूध मावा फैक्टरी से निकलने वाला बदबूदार पानी जमा रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसको लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद यादव, रामचंद्र मुदान, सीताराम यादव, आदि ने घटवाड़ा पुलिया के पास दूध

- दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे की घटवाड़ा पुलिया के पास आम रास्ते में फैक्टरी से निकलने वाला बदबूदार पानी जमा रहता है

मावा पनीर बनाने की एसएस नाम से एक फैक्टरी संचालित है बताया कि यह भू राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा

नंबर 110में कृषि भूमि पर संचालित है जिसमें दूध से मावा पनीर बनाया जाता है। जिसका अपशिष्ट जल नाले में इकट्ठा हो रहा है। और बदबू दे रहा है। नाले से मात्र 15 मीटर दूरी पर सरकारी स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। जिससे नन्हे-मुन्हे बच्चों सहित आवागमन करने वाले ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। जिसकी जांच की जाकर सरकार से समस्या समाधान करवाने के लिए मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है।

## शाहपुरा की बाल पर्यावरण योद्धा श्रेया कुमावत पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी

शाहपुरा, (निस)। शाहपुरा की लाडली बेटी और ‘ग्रीन लिटिल बेबी’ के नाम से प्रसिद्ध बाल पर्यावरण योद्धा श्रेया कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने समर्पण, मेहनत और जुनून से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनके कार्यों की गूंज अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। इन्हीं उल्लेखनीय और प्रेरणादायक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अब श्रेया कुमावत के जीवन और उनके पर्यावरणीय कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। यह फिल्म समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य करेगी।

झारखंड के धनबाद फिल्म सिटी से फिल्म निर्माता-निर्देशक शत्रुघ्न महतो एवं उनकी टीम शीघ्र ही शाहपुरा पहुंचकर फिल्म की शूटिंग प्रारंभ करेगी। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। श्रेया कुमावत पर बनने वाली यह फिल्म न केवल उनके उत्कृष्ट कार्यों को उजागर करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र और राज्य का नाम भी रोशन करेगी तथा देश की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

प्रकाश चंद्र रेगर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहपुरा ने इस गौरवपूर्ण पहल में सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी सहभागिता निभाते हुए शहर की इस



श्रेया कुमावत

- ‘‘ग्रीन लिटिल बेबी’’ के नाम से प्रसिद्ध बाल पर्यावरण योद्धा श्रेया कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है
- श्रेया कुमावत के कार्यों की गूंज अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है

प्रतिभाशाली बेटी को सहयोग एवं प्रेरणादायक संदेश देश-विदेश तक आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि यह पहुंच सके।

## लापता व्यक्ति का शव नाले में मिला

बीकानेर, (निस)। शहर के अंबेडकर सर्किल के पास बिजली विभाग कार्यालय के नजदीक बुधवार सुबह नाले में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम अस्पताल के मुद्दीघर में रखवाया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैफिक थाने के मोड़ के सामने सुबह नाले में एक शव पड़ा दिखाई दिया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शव करीब 5 से 6 दिन पुराना होने की आशंका है। इतने दिनों तक नाले में डूबे रहने के कारण शव पूरी तरह सड़-गल चुका था। हालत इतनी खराब थी कि शरीर के कई

अंग गायब थे। सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की निगरानी में काफी मशकत के बाद शव को नाले से बाहर निकाला जा सका। दुर्गंध और गंदे पानी के कारण शव को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सूरतगढ़ निवासी पैमाराम पुत्र लखूराम के रूप में हुई है।

## बिना मिट्टी के मिट्टी पर डामर बिछाकर बनाई सड़क उखड़ी

उदयपुर, (कास)। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र की माल की दूध पंचायत में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क की घटिया गुणवत्ता का मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के इंजीनियरों द्वारा बनाई गई यह सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि डामर के नाम पर कच्चे रास्ते पर सिर्फ पतली परत बिछा दी गई जो हाथ-पैर के हल्के दबाव से ही उखड़ रही है। परत हटते ही नीचे मिट्टी साफ दिखाई दे रही है।

ग्रामीणों के अनुसार 29 लाख रुपए के बजट में घटिया सामग्री का इस्तेमाल

उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे थे। राजेंद्र शर्मा का आरोप है कि पंचायत समिति कार्यालय के पीछे उनका वर्षों पुराना मकान था। 30 मई 2019 को वह मजदूरी पर गये हुए थे, तभी पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी ने जेसीबी से उसका मकान तुड़वा दिया। कार्रवाई के दौरान उसका घरेलू सामान और कुछ नकदी भी जब्त कर ली गई, जो आज तक वापस नहीं मिली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उसने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी और राष्ट्रपति तथा मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

उल्लेखनीय है कि राजेंद्र शर्मा इससे पहले 29 सितंबर 2023 को भी इसी पेयजल पंक्ति पर चढ़कर विरोध जता चुके हैं। दिनभर चलती समझौदा के बाद आखिरकार पुलिस ने रणनीति बनाकर उन्हे सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर सुभाष बरोला और कॉन्टेन्टल महेश यादव की विशेष भूमिका रही।

## अजमेर दरगाह क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद, दो युवक घायल

अजमेर, (निस)। दरगाह थाना क्षेत्र में देर रात एक पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की कोशिश उस समय हिंसक झगड़े में बदल गई, जब बातचीत के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से हथियार निकल आए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से एक-एक युवक घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार खादिम मोहल्ला छोटा एक निवासी सैयद अदिमूल हसन अपने भाई सैयद नदिमूल हसन के साथ बाबा हाउस स्थित रिसेटदार सैयद सत्ताराम चिश्ती के घर पुराने विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। प्रारंभ में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही

- पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की कोशिश में विवाद हो गया था

देर में कहासुनी बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते विवाद झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें सैयद नदिमूल हसन और सैयद अनाम चिश्ती घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनाजी पुलिस जाबों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों घायलों

को तत्काल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल (जेएलएन अस्पताल) पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार और मेडिकल कराया गया। घटना के बाद अस्पताल में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया। घायल सैयद नदिमूल हसन को गंभीर हालत में देखकर परिजन आक्रोशित हो उठे और उन्होंने सोनीग्राफी कक्ष की खिड़की तोड़ दी। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और माहौल शांत कराया। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनाजी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी कहासुनी का प्रतीत हो रहा है, जो बाद में हिंसक रूप ले बैठा।

## दुपहिया वाहन चार्जिंग के दौरान दुकान में आग लगी

अजमेर, (निस)। शहर के पहाड़गंज रोड स्थित सीता गौशाला के पास बुधवार को एक दुकान में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन चार्जिंग के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुकान मुजा अहमद की बताई जा रही है, जहां एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को चार्ज किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते वाहन में आग भड़क उठी। लोगों की लपेट उठते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और लोग तुरंत मौके पर एकत्र हो गए।

एसएसआई रणवीर सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी सूझबूझ और प्रयासों के चलते दमकल के पहुंचने से पहले ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया।

## धारदार हथियार से बड़े भाई पर हमला किया

डूंगरपुर, (निस)। सदर थाना क्षेत्र स्थित बुवेला गांव में जमीन विवाद को लेकर एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बड़ा भाई गंभीर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बुवेला निवासी भोगीलाल पुत्र हाजा डामोर और उसके छोटे भाई छोटे लाल डामोर के बीच पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई छोटे लाल ने अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया।

घटना के समय भोगीलाल अपने घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित खेत पर गया था। तभी छोटे लाल वहां पहुंचा और धारदार हथियार से भोगीलाल के सिर के पिछले हिस्से पर

- जमीनी विवाद में छोटे भाई ने हमला किया, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी

वार कर दिया। हमले के बाद भोगीलाल वहीं गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल भोगीलाल को तुरंत एक निजी वाहन से डूंगरपुर जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल भोगीलाल के बयान दर्ज किए। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आरोपी छोटे भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## ‘‘बापजी : महाराजा आफ मारवाड़ जोधपुर : दी किंग हू वुड बी मैंन’’ पुस्तक का लोकार्पण

जोधपुर, (निस)। गज सिंह की असाधारण व उल्लेखनीय जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक ‘‘बापजी : महाराजा आफ मारवाड़ जोधपुर : दी किंग हू वुड बी मैंन’’ का मुंबई नरीमन प्वाइंट स्थित देश के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र नेशनल सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स में गज सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर महाराजी हेमलता राज्ये जी भी उपस्थित थीं।

यह पुस्तक लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है। लोकार्पण समारोह के अवसर पर गज सिंह ने कहा कि उनके बारे में पुस्तक लेखन का लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा अच्छा व सराहनीय प्रयास किया गया और उनकी जीवन यात्रा के बारे में पुस्तक लिखी गयी भी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में अपनी विरासत को संभालना और उसे दुनिया भर में पहचान देना ‘‘द किंग हू वुड बी मैंन’’ की सच्ची कहानी है। पुस्तक में उनके व राजपरिवार के बारे में लिखा गया है। अनेक दुर्लभ चित्र इसमें लगाए गए हैं जो पहिले कही प्रकाशित नहीं हुए। अनेक नए चित्र भी शामिल किए गए हैं। उनके जन्म से लेकर अब तक की जीवन यात्रा के बारे में इसमें बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है। राज परिवार के बारे में



मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स में पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ।

उल्लेख किया गया है। राज परिवार का जनता से सीधे जुड़ाव का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक पढ़ने योग्य व सांस्कृतिक महत्व की पुस्तक है। उन्होंने कहा कि जोधपुर राज परिवार की विरासत का प्रभाव रहा है। इस विरासत में एक आदमी की छवि बसी हुई है और वह है बाप जी। जो चार वर्ष की उम्र में ही राजा बने फिर सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से मारवाड़ की आत्मा से गहराई से जुड़ गए। मारवाड़ व

जोधपुर के लोगों का उनके प्रति सम्मान ही उनकी पूंजी है, जिसे हमेशा संजोये रखे हुए है। बदलाव के बावजूद जोधपुर के लोगों का प्यार व सम्मान बना हुआ उन्होंने कहा आप जो भी कार्य करें उसे पूरे समर्पण के साथ करें, अपनी विरासत को बचाकर रखें, इस समाज में लीडरशिप की भूमिका निभाएँ- उन्होंने कहा कि उनके जीवन को अच्छे तरीके से आकार देने, कार्य करने में, सांस्कृतिक मूल्यों में दादा उम्मेद सिंहजी, पिता

हनवन्त सिंहजी, मां कृष्णा कुमारी जी का काफी प्रभाव रहा। साथ ही बहिने शैलेश कुमारी व चंद्रश कुमारी, पत्नी महाराजी हेमलता राज्ये, पुत्र शिवराज सिंह, पुत्री शिवरंजनी राज्ये व बहु युवराजी गायत्री राज्ये सभी का सहयोग रहा है। उन्होंने इस अवसर पर दोनों लेखकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह को पुस्तक के लेखक अमननाथ व योगी वैद्य ने संबोधित किया और पुस्तक के प्रकाशन के संबंध

- गज सिंह के जीवन की उल्लेखनीय व असाधारण यात्रा पर आधारित है पुस्तक

में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर राजस्थान के लंग बंधुओं ने ‘‘रंग-ए-थार’’ राजस्थानी लोकगीतों व धुनों की लोक वाद्य यंत्रों के साथ शानदार प्रस्तुतियां दीं। खड्डताल पर जाकिर खान, ढोलक पर सादिक खान, सारंगी पर आसीन खान लंग ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के ट्रस्टी निर्मल भोगीलाल, सीईओ अविध लॉनिंग एण्ड क्यूरेटर ऑफ द रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई असद लालजी, मल्लिका साराभाई पब्लिशिंग मैनिंग पब्लिशिंग, डायरेक्टर जोधपुर रिकॉर्डिंग एण्ड प्रोडक्शन, रवेन्त साराभाई, प्रियंका राजा, डॉ. मधु भोजवानी, उज्ज्वेकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के मानद कांसिल निजय गोवर्धन दास कलंत्री, नफीशा चिनाय, डॉ. जर्वशी, डॉ. सुजाता जादव, डॉ. रूपिन शाह, महेंद्र के सांधी, दुर्गा जसराज सहित कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

## बीकानेर जिले में नहीं हुआ बजरी क्ले का रॉयल्टी ठेका, तीन बार निविदा भी जारी

### बोली नहीं लगने के कारण रॉयल्टी वसूली का नया ठेका नहीं हो पाया है

बीकानेर, (निस)। खान निदेशालय ने बीकानेर जिले में बजरी क्ले का रॉयल्टी ठेका देने के लिए तीन बार निविदा जारी की, लेकिन किसी भी व्यवसायी ने रुचि नहीं ली। बोली नहीं लगने के कारण रॉयल्टी वसूली का नया ठेका नहीं हो पाया है। अब खान विभाग को नाके लगाकर रॉयल्टी वसूली होगी, जबकि खानों से ओवरलॉड भरी गाड़ियां अभी से सड़कों पर दौड़ने लगी है।

जिले में क्ले बजरी की रॉयल्टी वसूली के लिए खान विभाग के अधिकारियों ने 1.81 अरब रुपए की राशि तय की थी। उसके बाद खान निदेशालय ने तीन बार बिड जारी की और तीनों बार एक भी व्यवसायी ने बोली नहीं लगाई। निदेशालय ने 22 जनवरी को निविदा जारी की, जिसमें रिजर्व प्राइस 181 करोड़ र. थी। ठेका नहीं होने पर खान अभियंता ने नियमानुसार दो बार 10-10 प्रतिशत रिशत कम कर प्रस्ताव भेजे, जिस पर निदेशालय ने 19 फरवरी को जारी निविदा में रिजर्व प्राइस 162.85 करोड़ रुपये और 15 मार्च को जारी निविदा में 146.65 करोड़ रुपये रखी

- खान निदेशालय ने 22 जनवरी की निविदा जारी की, जिसमें रिजर्व प्राइस 181 करोड़ रुपये थी

गई। तीनों बार बोली नहीं लगने से ठेका नहीं हुआ। बीकानेर जिले में बजरी क्ले की रॉयल्टी वसूली का वर्तमान ठेका लगभग 164.59 करोड़ रुपए में चल रहा है, जिसकी अवधि 31 मार्च की रात को 12 बजे खत्म हो गई। इसे देखते हुए अवैध परिवहन करने वाले सक्रिय हो गए हैं। बजरी के ओवरलॉड ट्रक खानों से निकलकर सड़कों को पत्र दौड़ने लगे हैं।

गौरतलब है कि जिले में बॉल क्ले, बजरी, कंकर, मुर्रम, सिलिका सैंड के 307 खनन पट्टे हैं। इन सभी खनिजों का एक ही रॉयल्टी ठेका होता है। खनि अभियंता ने चौथी बार निविदा जारी करने के लिए प्रस्ताव बनाकर निदेशालय को भेजे हैं, लेकिन इस बार रिजर्व प्राइस कम नहीं की गई है। रिजर्व प्राइस पूर्व की तरह ही 146.65 करोड़

र. की रखी गई है। रॉयल्टी वसूली के लिए 25 पुलिसकर्मी, 100 बॉर्डर होमगार्ड, अतिरिक्त स्टाफ मांगा - एक अप्रैल से क्ले बजरी व अन्य खनिजों को रॉयल्टी वसूली खान विभाग को करनी होगी। इसके लिए नाके लॉगेंगे, जगह-जगह वाहनों की चेकिंग करनी होगी, अवैध खनन पर नजर रखनी होगी और रॉयल्टी वसूली का पूरा हिसाब-किताब करना होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, स्टाफ और अधिकारियों की जरूरत होगी। इसे देखते हुए खनि अभियंता एमपी पुरोहित ने एसपी, खान निदेशक सहित अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। रॉयल्टी वसूली के लिए 25 पुलिसकर्मी, गाड़ियों सहित इण्डिया 100 बॉर्डर होमगार्ड मांगे हैं। उच्चाधिकारियों को अन्य कार्यालयों से अभियंता, भूवैज्ञानिक, खनि कार्यदेशक, नार्केदार, खनि रक्षक, मंत्रालयिक कार्रवाई सहित अन्य स्टाफ प्रतियुक्ति या कार्य व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वाहन भी मांगे गए हैं।